

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Sunday, 27 September 2026

दिवाली से पहले सिद्धार्थनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई : 1200 किलो अवैध पटाखे जब्त, 2 युवक गिरफ्तार

Publisher

Published on 11 Oct 2025



सिद्धार्थनगर जिले में दिवाली और छठ पर्व से पहले पुलिस ने अवैध पटाखों के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। इटवा पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से करीब **1200 किलो अवैध पटाखे** जब्त किए। इन पटाखों की अनुमानित कीमत **7.05 लाख रुपये** बताई जा रही है। यह कार्रवाई सुरक्षा और कानून की सख्ती सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पर्वों के दौरान अवैध पटाखों की बिक्री और परिवहन पर विशेष नजर रखी जा रही है। इसी के तहत इटवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध पटाखे मिले, जिनमें तरह-तरह के पटाखों का भंडार था।

सिद्धार्थनगर पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई न केवल अवैध पटाखों की बिक्री रोकने के लिए बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है। दीपावली और छठ जैसे पर्वों पर पटाखों का उपयोग अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे न केवल दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है बल्कि वायु प्रदूषण भी गंभीर रूप से प्रभावित होता है। पुलिस का उद्देश्य अवैध व्यापारियों के खिलाफ सख्ती दिखाना और कानूनी कार्रवाई के जरिए जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस कार्रवाई के दौरान आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उनके अन्य सहयोगियों और सप्लायरों का पता लगाने के लिए छानबीन जारी है। यह कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अवैध पटाखों का बाजार पर्वों के दौरान तेजी से बढ़ता है और इससे दुर्घटना तथा कानून व्यवस्था की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया और कहा कि इस तरह की कठोर कार्रवाई से अवैध पटाखों के कारोबार पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने पुलिस की सराहना की और कहा कि पुलिस ने समय रहते कदम उठाकर न केवल कानून को सख्ती से लागू किया बल्कि त्योहारों के दौरान लोगों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया।

विशेषज्ञों का कहना है कि अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण खतरनाक होता है। इसके चलते न केवल बच्चों और युवाओं के लिए खतरा बढ़ जाता है, बल्कि आग लगने और विस्फोट जैसी दुर्घटनाओं का भी जोखिम रहता है। पुलिस की यह कार्रवाई इस दिशा में एक चेतावनी और उदाहरण दोनों है कि अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और विस्फोटक अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि आगे की जांच में यह पता लगाया जाएगा कि ये पटाखे कहां से आए और किसने इनका वितरण किया। इसके अलावा पुलिस पूरे जिले में अवैध पटाखों की दुकानों और वाहनों पर विशेष नजर रखेगी।

पुलिस का यह अभियान केवल कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं है। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि वे अवैध पटाखों की बिक्री और वितरण के बारे में सूचना दें। इसके साथ ही लोगों को सावधानी बरतने और सुरक्षित तरीके से पर्व मनाने के लिए निर्देशित किया गया है।

इस तरह, सिद्धार्थनगर पुलिस की यह कार्रवाई न केवल अवैध पटाखों के कारोबार पर रोक लगाने के लिए बल्कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हुई है। इस अभियान से यह संदेश गया कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ कानून सख्त है और कोई भी व्यक्ति इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता।

आने वाले दिनों में पुलिस ने यह भी योजना बनाई है कि वे पूरे जिले में इस तरह के अभियान जारी रखेंगे, ताकि अवैध पटाखों के कारोबार पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सके और जनता सुरक्षित तरीके से पर्व मना सके।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.